FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

आ०स्वीका/रिमाण्ड 17/5/2019

अ[illegible] अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दौलतसिंह पुत्र रतनसिंह —— बनाम —— खींया (मृत) द्वारा कमला वा० कालूसिंह
जाति रावत नि० ग्राम काकरदा —— जाति रावत नि० काकरदा भूणावास तह०

किस्म मुकदमा —— नम्बर —— 181 सन् 2019 (अजमेर)
भूणावास तह० अजमेर) —— अजमेर 181/2019
(काकरदा भूणावास)
2019/00181
225 राज० काश्तकारी अधि०

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री मदनपुरी गोस्वामी, एड० अपी० श्री	
17.5.19	यह अपील श्री मदनपुरी गोस्वामी एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 26.10.2016, प्रकरण संख्या 104/2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकम हम प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की गई बहस पर एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील में बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी चौसाला खसरा नम्बर 674 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 796 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.09 है. एवं 1128 रकबा 0.14 है. हैं जो अपीलांटस के दादा हजारी पुत्र नाहरा के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर पूर्व में अपीलांटस के दादा का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में अपीलांटस का कब्जाकाश्त चला आ रहा है, जो सलंग्न खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2024, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2035, 2047, 2049 से स्वंय सिद्ध हैं। उक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2035 के कॉलम संख्या 15 में अपीलांट के दादा को खातेदार दर्ज किया गया है जिससे सिद्ध होता है कि खसरा नम्बर 674 पर सम्वत 2035 में अपीलांटस के दादा को खातेदार अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन बन्दोबस्त विभाग वर्किंग जमाबंदी तैयार करते वक्त उक्त खसरा परिवर्तनशी सम्वत 2024 से 2052 में दर्ज अपीलांटस के दादा की खातेदारी को नजरअंदाज करते हुए वर्किंग जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1से 03 के पूर्वज खींया, छोटू व हरजी पुत्रान मोती के नाम दर्ज कर दी गयी तथा इनका विरासती नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज कर दिया गया। विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के वारिसान व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लक्ष्मण ने अपने नाम दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्से का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को कर दिया है। जिससे उक्त क्रेता को बतौर पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या 5 मुर्तिब किया गया हैं। अपीलांट विवादित आराजी पर लगभग 50 वर्षो से पूर्व से आज तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन वर्तमान में वादग्रस्त आराजी गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज की गई है। उक्त जमाबंदी में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं किया जा रहा है तथा प्रकरण में निरन्तर तारीख	लगातार

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

181/19/225 सौतानसिंह बनाम रतन/नि.कमला

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	19/07/181 श्री मदनपुरी गोस्वामी वि	

लगातार

पेशीयॉ दी जा रही है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से यह अपील अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रार्थीगण का प्रकरण विचाराधीन रहते हुए भी प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का न्यायोचित आदेश प्रदान नहीं कर कानूनी भूल की है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की है। जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल कर वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र रहन, बय एवं मुन्तकिल करने पर आमादा हैं जिसमें यदि अप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त अपील ही सारहीन हो जायेगी जिससे प्रार्थीगण/अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की ताफैसल मूल वाद तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम दिनांक 09.09.2016 को प्रस्तुत किया गया किन्तु आदिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया हैं जबकि राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लगभग 02वर्ष के पश्चात भी नहीं किया गया है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब/बहस हेतु नियत हैं एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययंता को ध्यान में रखते हुए, अपील का निस्तारण इसी स्तर करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय का भिजवायी जावे। मिसलफैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर